सं.19030/2/2020-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

22 दिसंबर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: यात्रा भत्ता नियमावली - दौरे पर दैनिक भत्ता के तहत स्वीकार्य शहर के अंदर यात्रा हेतु यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए रसीदें/वाउचर प्रस्तुत करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यात्रा भत्ता नियमावली - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के का.ज्ञा. सं. 19030/1/2017-ई.IV के पैरा 2(ड.)(i) एवं (ii) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके दवारा दौरे पर दैनिक भत्ते के तहत स्वीकार्य शहर के अंतर्गत यात्रा के लिए यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति का निर्धारण किया गया है। इस का.ज्ञा. के पैरा 2ड.(iii) के अनुसार लेवल 8 और उससे नीचे के स्तर के अधिकारियों को स्व-प्रमाणन के आधार पर बिना वाउचर प्रस्तुत किए यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति प्रदान की गई है जबकि लेवल 9 और उससे ऊपर के अधिकारियों को वाउचर प्रस्तुत करने होते हैं।

2. इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के अनुलग्नक के पैरा 2(ड.)(i) के अनुसार वेतन लेवल 9 से 11 के अधिकारियों दवारा दौरे पर दैनिक भत्ता के तहत स्वीकार्य शहर के अंदर यात्रा हेतु यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति का दावा करते समय रसीदें/वाउचर प्रस्तुत करने में कठिनाइयों का सामना करने के संबंध में इस विभाग में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

3. इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 13.07.2017 के का.ज्ञा. के पैरा 2(ड.)(i) में उल्लिखित अनुसार दौरे पर दैनिक भत्ता के तहत स्वीकार्य यात्रा प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए वेतन लेवल 9 से 11 के अधिकारियों के लिए रसीदें/वाउचर प्रस्तुत करने की शर्त को हटाया जाता है जबकि अधिकारियों को यात्रा की अवधि, वाहन संख्या आदि दर्शाते हुए एक स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करना होगा।

4. भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद जारी किया जाता है।

5. इसे सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि:- सी एंड एजी और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।